□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2652
06 □□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

एम्स म डॉक्टरों तथा पारा-मेडिकल कमचारियों को कमी

2652. श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री तीरथ सिह रावतः
श्री रामदास तडसः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) देश म नागपुर, ऋषिकेश तथा दिल्ली सहित विभिन्न एम्स अस्पतालों म डॉक्टरों तथा पैरा-मेडिकल कमचारियों के पद काफो संख्या म रिक्त ह;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार तथा नाम-वार नामतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अनारक्षित पद-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन पदों को अभी तक नहों भरे जाने के क्या कारण ह तथा इन संस्थानों म विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों सहित ऐसे पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती किए जाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए ह/उठाए जा रहे ह?

□त□
स□□स्थ□ और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हष वधन)

(क) से (ग): छह कायरत एम्स नामत: भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश के प्रत्येक एम्स के लिए विभिन्न फेकल्टी संकायों म कुल 305 सीटों का सृजन किया गया है। नागपुर एम्स के लिए 183 फेकल्टी पदों को स्वीकृति दी गई है। वरिष्ठ रेजीडेन्टों और कनिष्ठ रेजीडेन्टों के पद उपयुक्त प्रत्येक एम्स के लिए स्वीकृत किए गए ह।

भर्ती अस्पतालों म अतिरिक्त सेवाओं को रज और योजना बद्ध सुविधाएं जोड़ने को ध्यान म रखते हुए के आवश्यकता आधार पर विभिन्न पदों को भर्ती को जाती है। विभिन्न एम्स म पदों को स्थिति को नियमित रूप से निगरानी को जाती है और उनको भर्ती के आधार पर समय-समय पर रिक्तियों का विज्ञापन दिया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय महत्व को इन संस्थाओं को महत्ता को ध्यान म रखते हुए चयन का मानक बहुत उच्च है, अत: सभी पद नहों भरे जा सके।

इन एम्स म खाली पदों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए ह:-

(i) रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए नए एम्स के लिए स्थायी चयन समिति (एसएससी) गठित की गई है।

(ii) प्रतिनियुक्ति आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजोंसंस्थाओं से सेवारत फेकल्टी लेकर नए / एम्स म रिक्त फेकल्टी पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई है।

(iii) नए एम्स म प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर वष की गई है। 58 वष से 50

(iv) नए एम्स म फेकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए वष तक 70की आयु के सरकारी मेडिकल कॉलेजोंसंस्थाओं के सेवानिवृत फेकल्टी को/ भी संविदात्मक नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। स्टॉप गेप अरजमट के रूप म संविदात्मक आधार पर फेकल्टी की नियुक्ति के लिए वाकइन इंटरव्यू की- भी स्वीकृति दी गई है।

(v) विदेश म रहने वाले भारतीय काड धारकों को फेकल्टी (ओसीआई)पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी गई है।

(vi) नए एम्स म विजिटिंग फेकल्टी स्कीम तैयार की गई है ताकि, टीचिंग और अकादमिक उद्देश्यों के लिए नए एम्स म राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फेकल्टी काय कर सक।

(vii) गैर -फेकल्टी तक)नीकी केडरों के लिए केन्द्रीकृत भर्ती शुरू की गई है। (

डॉक्टरों और पैरामेडिक्स का भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश और नागपुर के नए एम्स और एम्स दिल्ली से प्राप्त संस्थागत विवरण पीएमएसएसवाई वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिस पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है- http://pmssy-mohfw.nic.in/index1.php?lang=1&leave=1&sublinkid=73&lid=37

*****